

*CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE*

*GOVERNMENT*

*OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA AND THE*

*GOVERNMENT*

*OF THE REPUBLIC OF INDIA*

*CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA*

*The Government of the Republic of Bolivia and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the Contracting Parties:*

*Inspired by a common desire to establish and develop closer cultural relations and desirous of promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Bolivia in the realms of art, culture, education including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health, high altitude medicine and mass media of information and education;*

*Have agreed to conclude the following Agreement.*

*ARTICLE I*

*The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.*

*ARTICLE II*

*Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other party through the medium of radio, television and press. With this end in view, the two parties shall exchange suitable materials and programmes.*

*ARTICLE III*

*The Contracting Parties shall encourage and facilitate:*

- a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;*
- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists associations and organizations; and participation in congress symposia and seminars;*
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports, and exchange of books, periodicals, other educational, scientific, technical, cultural, sports publications and wherever possible exchange of art objects;*

- d) reciprocal facilities to archaeologists of the two countries to enable them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds and for training purposes and also in regard to exchange of specimens or casts;
- e) organizing exchange programmes for their musical and theatrical groups, actors, artists, musicians and journalists; and
- f) encouraging and organizing cultural concerts, tours of performing troupes and lecture tours on culture and arts in their countries.

#### ARTICLE IV

The Contracting Parties agree to cooperate closely on prevention, elimination and prosecution in respect of illegal trade in works of art, documents and objects of great value to history, heritage, arts, culture and science.

#### ARTICLE V

Each Contracting Party shall encourage cooperation in the field of mass communication by exchange of film, radio, press, television and cinematographic materials, and shall arrange the exchange of specialists who will participate in the activities organized by each Contracting Party.

#### ARTICLE VI

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to their national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

#### ARTICLE VII

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE VIII

The representatives of the Contracting Parties shall under this Agreement observe the laws and regulations of the host country.

ARTICLE IX

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established by the Contracting Parties when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of the parties alternatively in New Delhi and La Paz.

ARTICLE X

The Contracting Parties shall foster and promote the development of relations between institutions and cultural research between both countries in order that research work carried out in one country will be known about in the other.

ARTICLE XI

The Contracting Parties shall settle through diplomatic channels all issues concerning the interpretation or application of the provisions of this Agreement.

ARTICLE XII

This present Agreement shall come into force on the date of exchange of instruments of Ratification which shall take place at New Delhi/La Paz. It shall remain in force for a period of five years unless either Contracting Party gives to the other a written notice six months in advance of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Contracting Parties have signed this Agreement and affixed there their seals.

Done in La Paz on December eight, one thousand nine hundred nine years, in three originals in Hindi, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF  
REPUBLIC OF BOLIVIA



Dra. Nirupama Rao  
EMBAJADORA DE LA REPUBLICA  
DE LA INDIA



Dr. Javier Murillo de la Rocha  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES  
Y CULTO DE BOLIVIA

भारत गणराज्य की सरकार  
और  
बोलिविया गणराज्य की सरकार  
के बीच  
सांस्कृतिक करार

-x-

भारत गणराज्य की सरकार और बोलिविया गणराज्य की सरकार जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है :

घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित तथा विकसित करने की तात्प्री इच्छा से और कला, संस्कृति, शिक्षा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, जन स्वास्थ्य, अत्यन्त महत्वपूर्ण दवाईयों तथा सूचना और शिक्षा के जन संचार क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप शामिल हैं, के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच हर प्रकार से संबंधों तथा समझबूझ संवर्धित करने तथा विकसित करने की इच्छा से प्रेरित होकर,

निम्नलिखित करार सम्पन्न करने के लिए सहमत हुई हैं :

**अनुच्छेद-एक**

दोनों संविदाकारी पक्ष कला तथा संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाएंगे तथा इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृतियों तथा क्रियाकलापों की बेहतर जानकारी में योगदान करने के उद्देश्य से सहयोग संवर्धित करेंगे ।

**अनुच्छेद-दो**

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष रेडियो, दूरदर्शन तथा प्रेस के जरिए दूसरे पक्ष के जन-जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इसे देखते हुए दोनों पक्ष उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

### अनुच्छेद-तीन

दोनों संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुविधाजनक बनाएंगे :

॥क॥ व्याख्यान देने, अध्ययन यात्राएं करने और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एक-दूसरे के देश के प्रोफेसरों तथा विशेषज्ञों की एक-दूसरे के देश की यात्राएं,

॥ख॥ शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कला प्रेमी, खेलों और पत्रकारिता संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों की एक-दूसरे के देश की यात्राएं एवं कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना,

॥ग॥ संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलों के क्षेत्र में सामग्रियों का आदान-प्रदान तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, संस्कृति, खेल प्रकाशनों का आदान-प्रदान और जहां कहीं सम्भव हो, कला वस्तुओं का आदान-प्रदान,

॥घ॥ दोनों देशों के पुरातत्वविदों के लिए परस्पर सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वे खुदाई तथा संरक्षण और पुरातत्व वस्तुओं के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए और नमूनों अथवा टांकों के आदान-प्रदान के संबंध में भी अनुभव प्राप्त कर सकें ।

॥ङ॥ अपनी-अपनी संगीत तथा नाटक मंडलियों, अभिनेताओं, कलाकारों, संगीतज्ञों और पत्रकारों के संबंध में आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना,

॥च॥ अपने-अपने देशों में सांस्कृतिक संगीत समारोहों, मंचीय मंडलियों के दौरों तथा संस्कृति और कलाओं संबंधी व्याख्यान दौरों को प्रोत्साहित तथा आयोजित करना ।

14  
NR

### अनुच्छेद-चार

दोनों संविदाकारी पक्ष कलाकृतियों, दस्तावेजों और इतिहास, दाय, कला, संस्कृति और विज्ञान की बहुमूल्य वस्तुओं के अवैध व्यापार के संबंध में रोकथाम, विलोपन और अभियोजन पर निष्कटता से सहयोग करने के लिए सहमत हैं ।

### अनुच्छेद-पांच

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष फिल्म, रेडियो, प्रेस, दूरदर्शन और चलचित्र सामग्री के आदान-प्रदान के जरिए जन संचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा उन विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करेंगे जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे ।

### अनुच्छेद-छह

दोनों संविदाकारी पक्ष दोनों देशों के बीच खेल दलों की यात्राओं को बढ़ावा देंगे तथा अपने-अपने प्रदेशों में उनके अधिवास तथा आवागमन को प्रचलित अपनी-अपनी विधि और विनियमों के अध्याधीन सरल बनाएंगे ।

### अनुच्छेद-सात

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी-अपनी विधियों, विनियमों तथा इस संबंध में आम नीति के अनुसार, अन्य संविदाकारी पक्ष अथवा संयुक्त रूप से दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित सांस्कृतिक संस्थाओं या मैत्री संगठनों के अपने-अपने प्रदेशों में, यह मानते हुए कि इस अनुच्छेद के तहत किसी संस्था के स्थापित किए जाने से पूर्व संबंधित सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा, संस्थापन का स्वागत करेंगे ।

967  
MK

**अनुच्छेद-आठ**

दोनों संविदाकारी पक्षों के प्रतिनिधि इस करार के तहत भोजवान देश की विधियों और विनियमों का पालन करेंगे ।

**अनुच्छेद-नौ**

इस करार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा एक संपुक्त समिति गठित की जा सकती है, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे जिसकी किसी एक पक्ष के अनुरोध पर दोनों पक्षों के बीच सहमति के अनुसार बारी-बारी से नई दिल्ली तथा ला पाज़ में बैठके होंगी ।

**अनुच्छेद-दस**

दोनों संविदाकारी पक्ष दोनों देशों की संस्थाओं के बीच और तांस्कृतिक अनुसंधान के बीच संबंधों के विकास को प्रोत्साहित और संवर्धित करेंगे ताकि किसी एक देश में किए गए अनुसंधान कार्य की जानकारी दूसरे देश को उपलब्ध हो सके ।

**अनुच्छेद-ग्यारह**

दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के उपबंधों को लागू करने संबंधी निर्वचन के सभी मामलों को राजनयिक माध्यमों के जरिए निपटाएंगे ।

**अनुच्छेद-बारह**

यह करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी होगा जिनका आदान-प्रदान नई दिल्ली/ला पाज़ में होगा । यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए त्वतः





ही नवीकृत हो जाएगा बर्षार्त दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना छह माह पूर्व नहीं दे दे ।

इसके साक्ष्य में, दोनों संविदाकारी पक्षों के सिधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं ।

सा पात्र में ईस्वी सन एक हजार नौ सो तत्तानवे के दिसम्बर मास के ..अर्द्धे.....दिन हिन्दी, स्पेनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में सम्पन्न । दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

निरुपमा राव

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से



*[Handwritten signature]*

बेलेगिया गणराज्य की सरकार

की ओर से

